

स्पष्टीकरण –

- (3) इस सारणी में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (4) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वाचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वाचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 4/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 676 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the supply of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, made by the person as specified in the corresponding entry in column (4), in respect of which the Central tax shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the intra-state supply of such goods as specified in the corresponding entry in column (5) and all the provisions of the said Act shall apply to such recipient, namely:—

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	Cashew nuts, not shelled or peeled	Agriculturist	Any registered person
2.	1404 90 10	Bidi wrapper leaves (tendu)	Agriculturist	Any registered person
3.	2401	Tobacco leaves	Agriculturist	Any registered person
4.	5004 to 5006	Silk yarn	Any person who manufactures silk yarn from raw silk or silk worm cocoons for supply of silk yarn	Any registered person
5.	-	Supply of lottery.	State Government, Union Territory or any local authority	Lottery distributor or selling agent. <i>Explanation.</i> — For the purposes of this entry, lottery distributor or selling agent has the same meaning as assigned to it in clause (c) of Rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010, made under the provisions of sub section 1 of section 11 of the Lotteries (Regulations) Act, 1998 (17 of 1998).

Explanation.—

(1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 677(अ).— केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, माल जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, जिनकी बाबत अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा जहां प्रत्यय ऐसे माल, (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदाय से भिन्न) की जावक पूर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर होने के कारण संचयित किया जा चुका है, अधिसूचित करती है।

अनुसूची

क्रम सं.	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	5007	रेशम या रेशम अपशिष्ट के व्युत्पन्न फैब्रिक
2.	5111 to 5113	धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्युत्पन्न फैब्रिक
3.	5208 to 5212	कपास के व्युत्पन्न फैब्रिक
4.	5309 to 5311	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर सूत, कागजी सूत
5.	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री का व्युत्पन्न फैब्रिक
6.	5512 to 5516	मानव निर्मित स्टैपिल फाइबर का व्युत्पन्न फैब्रिक
7.	60	बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक (सभी माल)
8.	8601	रेल लोकोमोटिव, जो विद्युत के बाह्य स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा शक्ति है
9.	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव; लोकोमोटिव टेंडर जैसे डीजल विद्युत लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टेंडर
10.	8603	स्वतः नोदित या ट्राम कोच, बैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 के हैं
11.	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतः नोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ कर्मशालाएं, क्रेन, बेलास्ट टैंपर, ट्रेकलाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान)
12.	8605	रेल या ट्राम यात्री कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं सामान बैन, टाकघर कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेल या ट्राम कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8604 के हैं)
13.	8606	रेल या ट्राम माल बैन और बैगन, जो स्वतः नोदित नहीं हैं
14.	8607	रेल या ट्राम लोकोमोटिव या चल-स्टाक के पुर्जे बोगियां, बिसल-बोगिया, धुरी और पहिए और उनके पुर्जे